(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

दीवानचंद आदि बनाम ओमप्रकाश व अन्य

किस्म मुकदमाः–53 आरटीए प्रकरण संख्याः–102/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने बताया कि वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 4के नाम संयुक्त खाता में रोही गुंसाईसर खाता सं. 174/175 ख.नं. 179, 181, 519/181 कुल 11.749 हैक्टर बारानी दोयम भूमि खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी स. 1 ता 3 का 6.325 है0 तथा प्रतिवादी नं0 4 का 5.424 है0 भूमि आती है। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी रजामंदी से संयुक्त खाता की समस्त भूमि का काश्त व रास्ते की सुविधा से मौका पर विभाजन कर रखा है।भूमि संयुक्त खाता में होने से भूमि सुधार आदि कार्यो में परेशानी होती है। अतः वादाधीन भूमि का कब्जा काश्त मुताबिक खाता विभाजन किया जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी 1 ता 3 ने बताया कि उनके जवाब दावा की मद संख्या 5 के क ता ग में वर्णित विभाजन के अनुसार खाता अलग करवाना चाहते है। योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी 4 ने प्रतिदावा को दोहराते हुए बताया कि वादाधीन 11.749 हैक्टर भूमि में से 5.424 हैक्टर भूमि पर मेरा कब्जा काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के नाम इस खाता में 25.00 बीघा भूमि है किन्तु इनका मौका पर 12.00 बीघा पर ही कब्जा काश्त है। मेरा खसरा नं. 179 की 2.335 है0 रकबा पर व ख0न0 181 की 3.089 है0 रकबा पर कब्जा काश्त है। मेरे रकबा ख0न0 181 से पश्चिमी दिशा में व ख0न0 179 के पूर्वी दिशा में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 का कब्जा काश्त है। वादीगण खाता विभाजन की आड़ में मेरे सुधारे हुए रकबा पर काबिज होने की फिराक में है। हमने हमारे रकबा को समतल किया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने रकबा का कभी सार–सम्भाल नही की है। इसलिये तहसीलदार सूरतगढ़ से प्रतिवादीया नं. 4 का कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया जाकर हमारा खाता अलग कायम करवाया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दावा वादीगण, जवाबदावा व प्रतिवादपत्र अनुसार दावा में कायम तनकीयात का निर्णय तनकी वार निम्न प्रकार किया जाता है। <u>तनकी नं.1</u>:–उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार रोही गुंसाईसर जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता सं. पुराना 175 नया 174 के ख.नं. 179 में 4.6790, 181 में 4.0980, 519/181 में 2.9720 हैक्टर कुल 11.7490 हैक्टर बारानी दोयम भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1ता4 के नाम संयुक्त खाता में हिस्सा अनुसार खातेदारी दर्ज है।वादीगण द्वारा वाद पत्र में घरू बंटवारा मुताबिक कब्जाकाश्त होना बताया है। जबकि वादी संख्या 1 ने जिरह में घरू बंटवारा नही होना बताया है। अतः तनकी नं.1 वादीगण साबित नही कर पाये है। अतः तनकी नं.1 उनके विरूद्ध निर्णित की जाती है। <u>तनकी नं.2</u>:– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में लिखा है कि उन्होने जैरवाद भूमि में से कब्जा काश्त के रकबा को सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। किन्तु उन्होने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह पता चले कि उनका कब्जा जैरवाद भूमि में कौनसे पासा की ओर है। अतः तनकी नं. 2 उनके विरूद्ध निर्णित की जाती है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तनकी नं. 3:– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 4 पर था। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिदावा प्रस्तुत कर ख0न0 179/2.335 है एवं 181/3.089 है0 कुल 5.424 है0 भुमि में अपना कब्जा काश्त बताया है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 ने बयान भी प्रस्तुत नही किये है। जिससे वह यह साबित नही कर पाये है। अतः यह तनकी उनके विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं.4:–उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी 1 ता 3 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना कब्जा काश्त बताया है। किन्तु वे अपना कब्जा साबित नही कर पाये है एवं ना ही बयान करवाये है। जिस कारण वह कब्जा साबित नही कर पाये है। अतः यह तनकी उनके विरूद्ध तय की जाती है।

तनकीनं.7:–अनुतोष। दावा खाता विभाजन का होने के कारण वादीगण आंशिक व प्रतिवादी 4 का प्रतिवादपत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक में एक भी तनकी निर्णित नही हुई है किन्तु प्रकरण खाता तस्कीम का होने के कारण दावा वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी 4 का प्रतिवादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2068–71 रोहीगुंसाईसर के खाता सं.174/175 के ख.नं. 179 में 4.6790, 181 में 4.0980, 519/181 में 2.9720 कुल 11.7490 हैक्टर बारानी दोयम भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं खराब से खराब भूमि (बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस्) के आधार परएवं कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखाते हुए राज0टिनेंन्सी नियम 20 व 21 अनुसार खाता विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव भिजवानेहेतु भूमिधारी तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है। प्राथमिक परचा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सूरतगढ़ को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी हो।पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव आने पर पेश हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
–::प्राथमिक परचा डिक्री::–
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. दीवानचंद पुत्र बन्नाराम जाति कुम्हार साकिन गुंसाईसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. गोविन्दराम पुत्र बन्नाराम जाति कुम्हार साकिन गुंसाईसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1.ओमप्रकाश
2.ख्यालीराम
3.नन्दराम
} पुत्रगण पिसरान बताराम जाति कुम्हार साकिन गुंसाईसर जिला श्रीगंगानगर
4.राधादेवी पत्नि हेतराम जाति निवासी गुंसाईसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5.राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 102 वर्ष 2012 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राजवीर भादू व प्रतिवादीगण श्री राजाराम भादू, श्री शिशपाल शर्मा व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वादाधीन भूमि रोही गुंसाईसर जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता सं. 174/175 के ख.नं. 179 में 4.6790, 181 में 4.0980, 519/181 में 2.9720 कुल 11.7490 हैक्टर बारानी दोयम भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं खराब से खराब भूमि (बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस्) के आधार पर एवं कब्जा काश्त को भी ध्यान में रखते हुए रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज0टिनेंन्सी नियम 20 व 21 अनुसार खाता विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार–सूरतगढ़ पक्षकारों के मध्य संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन हेतु बंटवारा हेतु प्रस्ताव मय नक्शा मौका एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित आगामी पेशी से पूर्व भिजवायें।

नोज.....ग.....मुबलिग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्दों की पालना..... ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.12.2019 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 12:19:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: